भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2982
उत्तर देने की तारीख 18.07.2019

वनवासियों का निष्कासन

2982. **श्री संजय सिंहः**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा वनों से निष्कासित किए जा रहे 19 लाख वनवासियों की स्थिति क्या है;

(ख) उनकी मदद के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उनकी आजीविका और निवास के अधिकारों को सुनिश्चित करने की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) से (ग) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यू पी (सी) 109/2008 तथा 50/2008 के मामले में दिनांक 13.02.2019 के अपने आदेश के माध्यम से वनों से उन दावाकर्ताओं के निष्कासन का आदेश दिया है जिनके दावे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम) के तहत अस्वीकृत किए जा चुके हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 13.02.2019 के आदेश में संशोधन के लिए दिनांक 26.02.2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मंत्रालय द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है और दिनांक 28.02.2019 के अपने आदेश के माध्यम से दिनांक 13.02.2019 को दिए गए निष्कासन आदेश पर रोक लगा दी है।

अधिनियम के तहत वननिवासियों के दावों को संसाधित करने के दौरान तथा कोई पात्र दावे अस्वीकृत न हो यह सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों तथा इसके तहत निहित नियमों को सख्ती से अनुपालन करने हेतु परामर्श जारी किए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिवों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विस्तृत शपथ-पत्र (एफिडेविट) दायर करने का भी अनुरोध किया गया है जैसा कि इसके दिनांक 28.02.2019 के आदेश द्वारा निर्देशित है।

*****